

पश्चिम मध्य रेल

क्र.सीएससी/जेबीपी/अभियोजन/13



कार्यालय

महानिरीक्षक-सह-मुख्य सुरक्षा आयुक्त

रे.सु.ब./प.म.रेल/जबलपुर

दिनांक- 22.04.2014

उप मुख्य संकेत एवं दूरसंचार अभियंता (टेली.)

पश्चिम मध्य रेल/जबलपुर

विषय-माह मार्च-2014 में पश्चिम मध्य रेल के क्षेत्राधिकार में रेल अधिनियम
एवं रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण।

उपरोक्त विषय में सुरक्षा विभाग से संबंधित जानकारी ई-मेल के माध्यम से भेज दी गई है। साथ ही हार्ड कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया संलग्न जानकारी पश्चिम मध्य रेल की वेब साइट में अंकित करने का श्रम करें।

संलग्न/- 04 पेज।

सहायक सुरक्षा आयुक्त (अभियोजन)

रे.सु.ब./मुख्यालय/जबलपुर

रेल संपत्ति (वि०वि०क०) अधिनियम के अंतर्गत माह-मार्च- 2014
मे पंजीत मामले

माह	हल किये गये मामले	बरामद संपत्ति की कीमत	गिरफ्तार		
			बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मि	आरपीएफ
मार्च-2014	38	47055	63	00	00

रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह मार्च 2014

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मि	आरपीएफ
मार्च 2014	37	38	47155	47055	63	00	00

बुकशुदा संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह मार्च 2014

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मि	आरपीएफ
मार्च-2014	03	04	5750	5750	14	00	00

रेल सामग्री की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह मार्च 2014

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मि	आरपीएफ
मार्च 2014	34	34	41405	41305	49	00	00

रे.सु.ब. द्वारा माह मार्च-2014 के दौरान किये गये अच्छे कार्यों का ब्यौरा

01. इस माह रेल सुरक्षा बल द्वारा रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत चलाये गये अभियानों में 16,423 व्यक्तियों को अभियोजित कर उनसे बतौर जुर्माना 63,54,854/-रू. की राशि वसूली गई है।
02. दिनांक 05.03.2014 को उपनिरीक्षक रेसुबल भोपाल श्री पी.के.पाण्डे, आरक्षक सागर मीना, आरक्षक पूरनलाल एवं अपराध खुफिया शाखा भोपाल के आरक्षक रामराज सिंह द्वारा संयुक्त रूप से भोपाल-विदिदा के मध्य रेल अधिनियम की रेड एवं सेक्शन चैकिंग के दौरान दीवानगंज स्टेडान के पास गाड़ी संख्या 54811 जोधपुर पैसेजर के एसीपी में रूकने पर उक्त गाड़ी को चैक किया गया तो पाया कि इंजन से तीसरे सामान्य श्रेणी कोच के यात्रियों में विवाद हो रहा था तथा यात्रियों द्वारा एक व्यक्ति को पकड़कर रखा था जिसके संबंध में यात्रियों द्वारा बताया गया कि 4-5 लोग यात्रियों के साथ तीन पत्ते का गेम खेल रहे थे इसी दौरान उन व्यक्तियों द्वारा एक यात्री का बैग चोरी करके भाग गये। जिनमें से एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से पूछताछ किया तो उसने अपना नाम चांद खान पुत्र नासिर खान उम्र 20 साल नि-भदभदा स्टेडान के पास थाना सूखी सेवनियां जिला भोपाल बताया। बाद पकड़े गये व्यक्ति को भोपाल लाये जहां मय तहरीर के जीआरपी भोपाल को कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया। उपरोक्त गाड़ी से यात्री का बैग चोरी जाने की दिकायत पर जीआरपी विदिदा द्वारा अपराध क्रमांक 013/14 धारा 379 आईपीसी के तहत दर्ज कर जीआरपी भोपाल को स्थानांतरित किया गया। मामलें में जीआरपी भोपाल द्वारा असल पर अपराध पंजीबद्ध कर अपराध क्रमांक 118/14 धारा 379 आईपीसी के तहत दर्ज कर उपरोक्त पकड़े गये व्यक्ति को उक्त मामलें में गिरफ्तारी द्धुमार की गई।
03. दिनांक 28.03.2014 को गाड़ी संख्या 11015 डाउन कुद्दीनगर एक्स के महिला कोच क्रमांक सीआर 09705 को भोपाल स्टेडान पर सडनि मनोहर सिंह हमराह स्टाफ प्र.आर.कोमल सिंह आर.अजय सिंह के द्वारा चैकिंग के दौरान महिला यात्रियों द्वारा बताया कि एक लड़की अकेले सफर कर रही है,

और वह काफी परेदान है बताने पर सउनि द्वारा लड़की को पोस्ट पर लाकर निरीक्षक भोपाल को अवगत कराया गया। पोस्ट पर पूछताछ करने पर बताया कि वह अपने दादा के साथ मुँबई जा रही थी, उसे रास्ते में ही उसके दादा ने छोड़ दिया, लड़की के परिजनो से संपर्क करने के लिये मोबाईल नं. की जानकारी लेने पर मोबाईल नं.-0979312416 बताया,जिस पर संपर्क करने पर लड़की के जीजा फूलचंद व माता श्रीमति सविता देवी से बात हुई, तथा लड़की के बारे में जानकारी दी गई। जिस पर उन्होने बताया कि वह कल दिनांक 29.03.14 को भोपाल आकर लड़की को प्राप्त करेंगे। बाद बचपन संस्था भोपाल की कार्यकर्ता श्रीमति जमुना फारकले के मोबाईल नं. -9893187578 पर संपर्क कर पोस्ट पर बुलाया गया तथा लड़की मनीषा पटेल को बचपन संस्था के संरक्षण में कार्यकर्ता श्रीमति जमुना फारकले को सौपा गया है।

04. दिनांक 25.03.2014 को सउनि/कोटा पोस्ट बृजपाल सिंह ने दौराने गस्त कोटा स्टेदान के प्लेटफार्म नं0 1 पर लावारिस हालत मे घुमते हुये 02 बच्चों को कोटा पोस्ट लेकर आये पुछताछ करने पर उन्होने अपना नाम क्रमदा:1. हालिद पुत्र रफीक उम्र-13 वर्ष, निवासी-रतन नगर,जिला-चूरू (राज0)
2. अब्दुल माजिद पुत्र अब्दुल कयूम उम्र-14 वर्ष, निवासी-मजादर, जिला-बनास काठा (गुजरात) में रहना बताया तथा बताया कि हम जामियामजार सहादत हासिद स्कुल भरूच (गुजरात) में पड़ते थे स्कूल टीचर ने हमे मारा इसलिए भाग कर यहा आ गये। समस्त कानून कार्यवाही उपरान्त चाईल्ड लाईन कोटा के सदस्य अजीज मोहम्मद को सुपुर्द किये गये।

रेल अधिनियम के तहत माह मार्च-2014 में की गई कार्यवाही का विवरण

:-

धारा	पंजीकृत मामले	जुर्माना रू. में
137	1963	1024936
138	9255	4185258
139	00	00
141	229	131675
142	00	00
143	10	00
144	1236	455050
145	737	107870
146	04	700
147	886	125800
153	01	00
154	18	77200

155	678	71400
156	300	31415
157	00	00
159	461	65800
160	08	5000
161	00	00
162	569	52600
163	00	00
164	01	00
165	00	00
166	02	1000
167	49	2800
172	00	00
173	00	00
174	16	16350
175	00	00
176	00	00
180-जी	00	00
कुल योग	16423	6354854